दायर दिनांक :— 01.08..2017
निर्णय दिनांक :— 19.12.2017

अनवान

विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

1 श्री तेजमल पिता श्री धन्ना कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2 ग्राम पंचायत ताल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताल पंचायत समिति देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण/गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व पटटा संख्या 87 दिनांक 17.08.1990 ग्राम पंचायत ताल तहसील देवगढ निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

उपस्थित :—

1—श्री दिग्विजयसिंह ,अधिवक्ता प्रार्थीगण/निगराकार
2—श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता अधिवक्ता , विपक्षीगण/गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ताल द्वारा जो पटटा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है वह अवैध ,विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पटटा संख्या 87 दिनांक 17.08.1990 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि अधिनस्त ग्राम पंचायत ताल के सरंपच वं सचिव से आपसी मिली भगत कर अवैध रूपेण विपक्षी द्वारा पटटा प्राप्त किया गया है । विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 17.08.1990 को ग्राम पंचपयत ताल से निशुल्क पटटा 20 बाई 45 वर्गफीट भूमि का प्राप्त कर लिया । जबकि विपक्षी संख्या 1 निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करवाने का पात्र नहीं था। विपर्क्षी सख्या 01 के पास उक्त पटटा जारी करने की दिनांक से पूर्व से ही एक पक्का मकान व बाडा था। ग्राम पंचायत ताल द्वारा विपक्षी संख्या 01 को जारी पटटे

का भूखण्ड सुरतपुरा से बरार जाने वाली डामर रोड के किनारे सडक सीमा में हैं और ग्राम पंचायत को सडक सीमा में पटटा जारी करने की कानूनन कोई अधिकारिता नही है। ग्राम पंचायत ताल द्वारा पटटा संख्या 87 दिनांक 17.08.2017 को निरस्त करते हुये : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे एंव जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पटटा विधिवत रूप से पंचायत राज अधिनियम के तहत पटटा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 01 का पटटा जारी करने से पूर्व मकान बना हुआ नही था। पटटा सडक भूमि पर नहीं दिया गया है। विपक्षी संख्या दो ने विधिवत कार्यवाही करते हुये विपक्षी संख्या 01 को पटटा जारी किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावे।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से यह ज्ञात नहीं हो सका कि विपक्षी को मकान बना होने से पूर्व पटटा दिया गया हो। पटटा सडक सीमा में दिया गया हो । ऐसा कोई रेकार्ड ग्राम पंचयत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है।

:: आदेश ::

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताल द्वारा जारी किया गया पटटा 87 दिनांक 17.08.1990 बहाल रखा जाता है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 19–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द